न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी— विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
42/2021	30.06.2021	01.04.2022

अनवान

1. किशन पिता अमरचन्द दरोगा आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. भुरा पिता रूपा दरोगा आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. गंगाराम पिता हजारी गाडरी आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. मांगु पिता लोबा जाति चमार आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थीगण

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री सैयद अशफाक अली — प्रार्थीगण
एक तरफा — अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम::—

—:: निर्णय ::—

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा लांगच पटवार हल्का लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074—77 के खाता संख्या 208 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 193, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, कुल किता 13 कुल रकबा 4.33 है0 में प्रार्थी संख्या 2 का 1/2 व प्रार्थी संख्या 1 का 375/866 हिस्सा व खाता संख्या 207 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 196 कुल किता 1 कुल रकबा 0.06 है0 में प्रार्थी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा दर्ज है। और अप्रार्थीगण आराजियात जैर—बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता [illegible] अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर [illegible] की जाकर मौके पर स्थाई सीमा—चिन्ह स्थापित किया जावे। प्रार्थीगण [illegible] भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर [illegible] जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया [illegible]। आज दिनांक 01.04.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से उक्त अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.13 14:20:18 IST
Reason: SelfAttested

हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र को एक तरफा सुना गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर–बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार कपासन को सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कपासन को आदेश दिया जाता है कि मौजा लांगच पटवार हल्का लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–77 के खाता संख्या 208 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 193, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, कुल किता 13 कुल रकबा 4.33 है0 व खाता संख्या 207 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 196 कुल किता 1 कुल रकबा 0.06 है0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 01.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.13 14:20:18 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official